

बिहार सरकार,
सामान्य प्रशासन विभाग

कार्यालय आदेश

संख्या :- 4/प्रो0-4-101/2012 (खंड).....पटना-15, दिनांक.....

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं संलग्न कार्यालय (स्थानिक आयुक्त का कार्यालय, नई दिल्ली, प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय तथा आयोग) के नियमित स्थापना में कार्यरत एवं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण कार्यालय परिचारियों को बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2017 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या- 19300 दिनांक- 13.10.2023 (अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023) में निहित प्रावधानों के आलोक में प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद निम्नवर्गीय लिपिक, वेतन स्तर- 2 का कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाता है :-

क्र0	कार्यालय परिचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापित विभाग/कार्यालय
1	2	3
1	श्री महेन्द्र राम, व0क्र0- 12	आयुक्त कार्यालय, मगध प्रमंडल, गयाजी
2	श्री अनिल कुमार सिंह, व0क्र0- 16	बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना

2. कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से अनुमान्य होगा।
3. कार्यकारी व्यवस्था संबंधी यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 19300 दिनांक- 13.10.2023 में निहित शर्तों के अधीन होगा।
4. उक्त में अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- 4/प्रो0-4-101/2012 (खंड).....पटना-15, दिनांक

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त के सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, मगध प्रमंडल, गयाजी/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा- 09/लेखा शाखा, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग/श्री महेन्द्र राम, कार्यालय परिचारी, आयुक्त कार्यालय, मगध प्रमंडल, गयाजी एवं श्री अनिल कुमार सिंह, कार्यालय परिचारी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।